# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
## बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 05/2014 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) छत्तरगढ़ जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम कौम जाट साकिन कुम्माना MFFR हाल चक 4 KWSM तहसील छत्तरगढ जिला बीकानेर

अप्रार्थीगण

:-रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956:-

उपस्थिति :-

1- स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

2- अप्रार्थीगण की ओर से — श्री भागीरथमान अधिवक्ता

**आदेश** दिनांक 13.02.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार छत्तरगढ़ ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 KWSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 215/42 में किलां 1, 10 ता 12, 19 ता 22 = 08 बीघा भूमि जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2041-44 की खसरा गिरदावरी में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी, उत्तर बीकानेर के आदेश MFFR कैम्प लूणकरणसर 19.12.1985 के द्वारा गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम कौम जाट साकिन कुम्माना को MFFR हाल चक 4 KWSM तहसील छत्तरगढ़ को MFFR विस्थापित आवंटन में आवंटित कर दी, जो वर्तमान में जरिये इन्तकाल नम्बर 5 दिनांक 17.03.1989 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। आवंटन की गई भूमि विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल को रेफरेंस करने हेतु निवेदन किया गया।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री भागीरथ मान अधिवक्ता ने उपस्थित आकर जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी पक्ष के विद्वान अभिभाषक की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि 4 KWSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 215/42 में किलां 1, 10 ता 12, 19 ता 22 = 08 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज थी। जिसे उपखण्ड अधिकारी, उत्तर बीकानेर के आदेश MFFR कैम्प लूणकरणसर 19.12.1985 के द्वारा गोविन्दराम पुत्र ज्ञानाराम कौम जाट साकिन कुम्भाना को MFFR हाल चक 4 KWSM तहसील छत्तरगढ़ को MFFR विस्थापित आवंटन में आवंटित कर दी। जो वर्तमान में जरिये इन्तकाल नम्बर 5 दिनांक 17.03.1989 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 में इस प्रकार के आवंटनों को अवैध माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के अनुसार गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर कैम्प MFFR लूणकरणसर द्वारा किया गया आवंटन विधि विरूद्ध व स्वतः ही शून्य आदेश है। रेफरेंस करने की मियाद निर्धारित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेफरेंस आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि 4 KWSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 215/42 में किलां 1, 10 ता 12, 19 ता 22 = 08 बीघा कृषि भूमि सहायक उपनिवेशन आयुक्त (इ.गा.न.प.योजना) छत्तरगढ़ द्वारा दिनांक 19.12.1985 को अप्रार्थी को आवंटन नहीं किया था। बल्कि अप्रार्थीगण महाजन फील्ड फायरिंग रैंज के विस्थापित है इनको अपनी खातेदारी भूमि के बदले आवंटन राज्य सरकार के विशेष प्रावधानों से उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर ने बतौर खातेदार उसकी खातेदारी भूमि MFFR अवाप्ति के बदले खातेदारी आवंटन किया था। उक्त भूमि जोहड़ पायतान की भूमि थी। इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत जोहड़ पायतान भूमि का आवंटन किया जा सकता है, उक्त आवंटित रकबे की कीमत नियम 17(1) के तहत साधारण आवंटन की रिजर्व कीमत की चार गुना कीमत पर आवंटन किया जाता है। अप्रार्थी का आवंटन इसी श्रेणी का होने से उनसे भी चार गुणा कीमत लेकर आवंटन विधि सम्मत किया गया है। उपनिवेशन क्षेत्र में जोहड़ की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। उपनिवेशन क्षेत्र की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 लागू नहीं होती है। क्योंकि उपनिवेशन अधिनियम एक विशेष एक्ट है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साधारण एक्ट होने के कारण उसके प्रावधान विशेष

अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अधिनियम पर प्रभावी नहीं हो सकते है तथा उपनिवेशन क्षैत्र में आने वाली भूमियों पर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लागू नहीं होती है। उपनिवेशन क्षेत्र में पीने के पानी व पशुओं के पीने के पानी की डिग्गियां बनाकर व्यवस्था की गई है और उन डिग्गियों को नहरी पानी से भरा जाता है। सिंचाई पानी की कमी हो सकती है परन्तु पीने का पानी नहरों से सुचारू रूप से दिया जाता है। अप्रार्थी ने भूमि को सुधारा है लाखों रूपये उस पर खर्च किये है। 26–27 वर्षो से इस भूमि पर काश्त करके भूमि इतनी नर्म हो गई है कि अब वहां जोहड़ पायतान का कोई यूज नहीं हो सकता है। अप्रार्थीगण महाजन फील्ड फायरिंग रैंज के विस्थापित है इनको अपनी खातेदारी आवंटन भूमि के बदले खातेदारी आवंटन राज्य सरकार के विशेष प्रावधानों से किया है इनकी खातेदारी रेफरेंस के जरिये खारिज नहीं की जा सकती है, रिव्यू हो सकती है। एक बार विस्थापित को दुबारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र पूर्णतया वेग आधारहीन तथा विधि विरूद्ध होने तथा मियाद बाहर होने के कारण खारिज करने योग्य है। अतः प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली व न्यायालय में जैर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत 2041–44 में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज रिकार्ड थी जो कि गिरदावरी के कॉलम संख्या 48 के अनुसार खातेदारी दर्ज है। जो वर्तमान में जरिये इन्तकाल नम्बर 5 दिनांक 17.03.1989 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबंदी संवत 2065–68 के प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के नाम MFFR विस्थापित आवंटन में पुख्ता आवंटन दर्ज है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 (3) के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी की है। इस भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है व ना ही खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक 02.08.04 द्वारा जोहड़ पायतन के संबंध में पारित आदेशों को अवैध माना है। मुतनाजा भूमि रिकार्ड में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन की होने के कारण अप्रार्थी को किया गया आवंटन बहाल रखना हम उचित नहीं पाते है। हम विभागीय प्रतिनिधि की बहस से पूर्णतया सहमत होते हुवे रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायौचित पाते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थी स्टेट द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को इस अनुरोध के साथ रेफर किया जाता है कि अप्रार्थी के पक्ष में चक 4 KWSM तहसील छत्तरगढ़ के मुरब्बा नम्बर 215/42 में किलां 1, 10 ता 12, 19 ता 22 = 08 बीघा कमाण्ड भूमि की बाबत उपखण्ड अधिकारी (उतर) बीकानेर कैम्प MFFR लूणकरणसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.1985 को खारिज करते हुवे प्रश्नगत भूमि बहक सरकार ली जाकर राजस्व रिकार्ड में आराजीराज अंकित करने के निर्देश प्रदान किये जावे।

8. उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.04.2020 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष उपस्थित होवें।

9. आदेश आज दिनांक 13.02.2020 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ए.एच. गौरी )
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर